तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज 2020/00102	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04-6-24	वकुलाय उप। तहसीलदार बून्दी द्वारा वांछित रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। पत्रावली वास्ते बहस तहसीलदार बून्दी रिपोर्ट हेतु दि. 09/07/2024 को पेश हो।	
09-7-24	वकुलाय उप। पत्रावली में बहस में वकील प्रार्थी द्वारा दस्तावेज पेश करने हेतु समय चाहा गया। पत्रावली दि. 13-8-24 को पेश हो।	
13-8-24	वकुलाय उप। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दि. 10-9-24 को पेश हो।	
10-09-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है/ अन्य कार्य मे व्यस्थ है/ अभिभाषणगण कार्य से विरत है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक..21-10-24....को पेश हो।	
21.10.24	वकुलाय उप0। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु 28.11.24 को पेश हो।	
28/11/24	वकुलाय उप0। निर्णय [illegible] लेखा [illegible] सुनाया गया, शामिल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद-पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:42:05 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
29/प्रा0प0/2020 (पुराना) **12/प्रा0प0/2023 (नया)**	**13.07.2020**	**हरविन्दर डी0 सिंह,** **आर0ए0एस0**

कस्तुरी बाई पत्नी श्री रामलाल जाति माली निवासी ग्राम माटून्दा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

–प्रार्थीया

–बनाम–

राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी राज०।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र–इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा–136 राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956

निर्णय

दिनांक–28.10.2024

उपस्थित– प्रार्थीया की ओर से एडवोकेट श्री शिव तोषनीवाल।
अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।

प्रार्थीया कस्तुरीबाई द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया ग्राम माटून्दा तहसील एवं जिला बूंदी राजस्थान की स्थायी निवासी है तथा परिवार सहित यहीं पर निवास करती है। कृषि भूमि खसरा संख्या 2778 रकबा 1.3304 है0 ग्राम माटून्दा पटवार हल्का माटून्दा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीया का 75/173 हिस्सा निहित है, जो प्रार्थीया के खाते एंव कब्जे काश्त मे चली आ रही है। प्रार्थीया ने उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या–2778 रकबा 1.3304 है0 मे निहित अपने 75/173 के हिस्से की भूमि पृथक–पृथक तीन विक्रय पत्र के द्वारा सहखातेदार छीतर वल्द रामनाथ से खरीद की है। प्रार्थीया ने उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में निहित सहखातेदार छीतर वल्द रामनाथ के 399/692 हिस्से में से 120/692 हिस्से की भूमि पंजीकृत विकय पत्र के द्वारा दिंनाक 04.05.2012 को क्रय किया थी। जिसका इन्तकाल संख्या–2606 दिनांक 01.06.2012 प्रार्थीया के पक्ष में खोला गया। सहखातेदार छीतर वल्द रामनाथ का 279/692 हिस्सा शेष रहा। इसी प्रकार प्रार्थीया ने उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मे निहित सहखातेदार छीतर वल्द रामनाथ के 279/692 हिस्से में से 100/692 हिस्से की भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा दिनाक 12.06.2013 को क्रय की थी। जिसका इन्तकाल संख्या [illegible]47 दिनांक 25.06.2013 प्रार्थीया के पक्ष में खोला गया। सहखातेदार छीतर वल्द रामनाथ का 179/692 हिस्सा शेष रहा। जिसमे से 99/692 हिस्सा लूंगा बाई पत्नि मदनलाल को विक्रय कर दिया, इस प्रकार छीत्तर वल्द रामनाथ का 80/692 हिस्सा शेष रहा। इसी प्रकार प्रार्थीया ने उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में निहित सहखातेदार छीतर वल्द रामनाथ के 80/692 हिस्से की भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 04.04.2014 को क्रय की थी। जिसका इन्तकाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:42:05 IST
Reason: SelfAttested

संख्या–2845 दिनाक 10.06.2014 प्रार्थीया के पक्ष में खोला गया। प्रार्थीया द्वारा पृथक–पृथक उपरोक्त प्रकार से क्रय की गई कृषि भूमियों के पृथक–पृथक इन्तकाल संख्या–2606, 2747 एवं 2845 प्रार्थीया के पक्ष में खोले गये है। इन्तकाल संख्या–2606 कस्तुरा बाई पत्नि रामलाल, इन्तकाल संख्या–2747 कस्तुरी बाई पत्नि रामलाल एंव इन्तकाल संख्या–2845 कस्तुरी बाई पत्नि रामलाल के नाम से राजस्व अधिकारीयों द्वारा दर्ज किये गये है। आगामी जमाबंदी में प्रार्थीया द्वारा पृथक–पृथक उक्त प्रकार से कय की गई कृषि भूमियों को मिलाकर 75/173 हिस्से का इन्द्राज सयुंक्त रूप से सहवन से कस्तुरा बाई पत्नि रामलाल के नाम से इन्द्राज कर दिया। जो गलत इन्द्राज हुआ है। जबकि कस्तुरी बाई के नाम से इन्द्राज किया जाना चाहिए था। प्रार्थीया को जिसकी जानकारी दिंनाक 14.06.2020 को अपने खाते की नकल निकलवाने पर हुई। प्रार्थीया का सभी दस्तावेजों मे नाम कस्तुरी बाई ही है और प्रार्थीया को कस्तुरी बाई के नाम से ही जाना ओर पहचाना जाता है, प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में वास्तविक नाम कस्तुरी बाई के विपरीत कस्तुरा बाई राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज होने से प्रार्थीया को भूमि विकास कार्य करने, कृषि ऋण प्राप्त करने, सहकारी प्राप्त करने कृषि यन्त्र वगैरह प्राप्त करने में अपने नाम की त्रुटि के कारण काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है, इसलिए जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम कस्तुरा बाई के स्थान पर कस्तुरी बाई दर्ज किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीया द्वारा उपरोक्त नाम कस्तुरा बाई के स्थान पर कस्तुरी बाई की शुद्धि करने हेतु संबंधित राजस्व अधिकारी एवं राजस्व शिविर में निवेदन किया किन्तु इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही करने बाबत प्रार्थीया को जानकारी दी है. इसलिये यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। इत्यादि प्रार्थीया द्वारा अंकित कर निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया के पक्ष में उक्त प्रकार से खोले गये इन्तकाल के बाद बनी जमाबंदीयों में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीया का नाम कस्तुरा बाई पत्नि रामलाल के स्थान पर कस्तुरी बाई पत्नि रामलाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार, बून्दी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मय रेकार्ड तलब की गई। तहसीलदार, बून्दी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक अवगत कराया हैं कि खाता संख्या 187 ग्राम माटून्दा में कस्तुराबाई पत्नी रामलाल दर्ज रेकार्ड हिस्सा 75/173 खातेदार हैं। प्रार्थीया कस्तुराबाई के स्थान पर उसके दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार आदि के अनुसार कस्तुरीबाई दर्ज करवाना चाहती हैं। मौका रिपोर्ट के अनुसार कस्तुराबाई व कस्तुरीबाई एक ही व्यक्ति हैं। तहसीलदार, बून्दी द्वारा अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ रेकार्ड की जांच रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल, नामान्तकरण की प्रतियां इत्यादि संलग्न किये हैं।

बहस प्रार्थीया एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि प्रा[illegible] कस्तुरीबाई पत्नी रामलाल हैं, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा भूमि के [illegible] कस्तुराबाई पत्नी रामलाल अंकित कर दिया हैं। जिससे प्रार्थीया को काश्तकारी का कार्य करने व भूमि से संबंधित अनुदान, ऋण इत्यादि [illegible] कठिनाईयों को सामना करना पड़ रहा हैं। इसलिए निवेदन हैं कि प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में कस्तुराबाई के स्थान पर कस्तुरीबाई करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harpinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:42:05 IST
Reason: SelfAttested

बहस समाहत करने के पश्चात् हमारे द्वारा पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2075–78 ग्राम माटून्दा खाता संख्या 187

पुराना 174 के खसरा संख्या 2778 रकबा 1.3304 है0 के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम कस्तुराबाई पत्नी रामलाल अंकित हैं, जबकि जमाबंदी सम्वत् 2068–71 ग्राम माटून्दा के खाता संख्या 174 पुराना 177 के खसरा संख्या 2778 में प्रार्थीया का नाम कस्तुराबाई जरिये नामान्तकरण संख्या 2606 दिनांक 01.06.2012, कस्तूरीबाई जरिये नामान्तकरएण संख्या 2747 दिनांक 25.06.2013 व 2845 दिनांक 10.06.20214 दर्ज रेकार्ड हुए हैं। रोटेशन कार्यवाही के दौराने तीनो नामान्तकरण सम्मिलित होने के फलस्वरूप रेकार्ड में प्रार्थीया का कस्तुराबाई अंकित हैं, जिससे प्रमाणित हैं कि तीनो भूमियां पृथक–पृथक रूप से प्रार्थीया द्वारा क्रय की गई हैं। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, बून्दी भी दोनो ही नाम प्रार्थीया के ही हैं। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं जमाबंदी सम्वत् 2075–78 ग्राम माटून्दा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान के खाता संख्या 187 पुराना 174 की आराजी खसरा संख्या 2778 रकबा 1.3304 है0 के राजस्व रेकार्ड में अंकित प्रविष्टी "कस्तूराबाई पत्नी रामलाल हिस्सा 75/173 जाति माली सा0 देह खातेदार" के स्थान पर "कस्तूराबाई उर्फ कस्तूरीबाई पत्नी रामलाल हिस्सा 75/173 जाति माली सा0 देह खातेदार" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। पालनार्थ तहसीलदार, बून्दी को तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:42:05 IST
Reason: SelfAttested